न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – कपूर शंकर मान (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
011/2017 (RCMS 2017/00719)	19.01.2018	27.05.2019

अनवान

1. रतनी पिता उदा जाति खाती आयु बालिग निवासी बावलास तहसील राशमी जिला चितौडगढ राज0

अपीलांट्

बनाम

1. शंकर पिता उदा जाति खाती आयु बालिग निवासी बावलास तहसील राशमी जिला चितौडगढ राज0
2. हीरा पिता उदा जाति खाती आयु बालिग निवासी बावलास तहसील राशमी जिला चितौडगढ राज0
3. सरपंच ग्राम पंचायत बावलास तहसील राशमी जिला चितौडगढ राज0

रेस्पोर्डेंट्स

–:: प्रथम अपील विरूद्ध नामान्तरकरण आदेश ग्राम बावलास नाामान्तरकरण संख्या 951 दिनांक 05.09.2000 ::–

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट् ने एक अपील खिलाफ रेस्पोर्डेंट्स के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बावलास पटवार क्षेत्र बावलास तहसील राश्मी के खातेदार उदा पिता कजोड खाती की मृत्यु उपंरात पटवार हल्का के पटवारी ने नामान्तरकरण संख्या 951 मृतक खातेदार उदा के विधिक वारिसान की जांच कर सजरा बनाकार भरकर पेश किया तथा यह अंकन किया बाद जांच निर्णित फरमावें। जिस पर ग्राम पंचायत बावलास ने बिना कोई जॉच किये कानूनी प्रावधानों के विपरीत उक्त नामान्तरकरण निर्णित फरमा दिया है जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत है। नामान्तरकरण संख्या 951 में ग्राम पंचायत बावलास द्वारा मृतक खातेदार उदा पिता कजोड खाती की मृत्यु उपरांत विरासत का नामान्तरकरण ग्राम पंचायत बावलास द्वारा मात्र रेस्पोर्डेंट 1 से 2 के नाम पर फैसल कर दिया है। जो गलत है। मृतक खातेदार उदा पिता कजोड खाती निवासी बावलास के दो पुत्र व एक पुत्री है। ग्राम पंचायत बावलास द्वारा उदा पिता कजोड खाती की मृत्यु उपरांत विरासत का नामान्तरकरण अपीलांट व रेस्पोर्डेंट संख्या एक से दो के नाम बराबर हिस्से फैसल करना चाहिए परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बावलास द्वारा ऐसा न कर मात्र रेस्पोर्डेंट संख्या 1 से 2 के नाम नामान्तरकरण

(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फैसल करने में भारी कानूनी भूल की है। जिससे उक्त नामान्तरकरण संख्या 951 निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट के परिवार का सजरा अपील मेमों अनुसार है। कब्जा काश्त भी मृतक खातेदार उदा पिता कजोड खाती के जीवनकाल से ही अपीलांट व रेस्पोडेंट के बराबर हिस्से से चला आ रहा है। तथा अपीलांट मृतक खातेदार की भूमि में 1/3 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। नामान्तरकरण आदेश अपीलांट की अदम मौजूदगी बिना जानकारी व बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया था। जिस कारण अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण फैसल होने की कोई जानकारी नहीं थी। उक्त नामान्तरकरण आदेश होने की सर्व प्रथम जानकारी अपीलांट को दिनांक 09.10.2017 को उसके खाते की जमाबंदी की नकल पटवारी से लेने पर हुई उसके बाद कार्यवाही कराने के लिये पटवारी से नामान्तरकरण की सत्यप्रति प्राप्त की जो दिनांक 09.10.2017 को प्राप्त हुई नामान्तरकरण की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त करते ही यह अपील अन्दर अवधि पेश की जा रही है। नामान्तरकरण फैसल होने की दिनांक 05.09.2000 से नामान्तरकरण फैसल होने की जानकारी दिनांक 09.10.2017 तक की समयावधि को मुजरा दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण आदेश ग्राम पंचायत मरमी नामान्तरकरण संख्या 951 को निरस्त किया जाकर मृतक खातेदार उदा पिता कजोड खाती के खातेदारी दर्ज समस्त आराजीयात का नामान्तरकरण अपीलांट को 1/3 हिस्से से रेस्पोडेंट संख्या 1 को 1/3 हिस्से तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 के पक्ष 1/3 हिस्से से बराबर हिस्से से फैसल किये जाने का आदेश प्रदान फरमा प्रदान फरमावे।

इस पर अपीलांट्स की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 27.11.2017 को रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा की गई। एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 ने स्वयं हाजिर होकर अपील बाबत् कोई एतराज नहीं होना जाहिर किया। जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 21.06.2018 को ग्राम पंचायत बावलास की ओर से भी अपील बाबत् कोई एतराज नहीं होने का निवेदन किया गया जो कि शामिल पत्रालवी है। दिनांक 27.05.2019 को अधिवक्ता अपीलांट द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बावलास द्वारा निर्णय दिनांक 05.09.2000 में अपीलांट को मृतक खातेदार की पुत्री होना स्वीकार किया है किन्तु अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट के पक्ष में रिलीज डीड संपादित कराये जाने का उल्लेख करते हुए रेस्पोडेंट के पक्ष में नामान्तरकरण निर्णित कर दिया गया है जबकि पत्रावली पर इस संबंध में कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गयें। पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित प्रति नामान्तरकरण संख्या 951 निर्णय

(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 05.09.2000 के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार राशमी द्वारा भी नामान्तरकरण पर रजिस्टर्ड रिलीट डीड प्रस्तुत नहीं करने तक अमल दरामद रोके जाने का नोट अंकित किया है। ऐसी स्थिति अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बावलास द्वारा निर्णय दिनांक 05.09.2000 को निर्णित किये जाने में विधिक भूल किया जाना प्रतीत होता है। प्रकरण से संबंधित कोई जांच पत्रावली भी रिकार्ड पर नहीं है। नामान्तरकरण को दर्ज करने, उसकी जांच करने व सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे निर्णित करने के संबंध में राजस्थान भू राजस्व(भू–अभिलेख) नियम, 1957 के प्रावधान लागु होते है। उक्त नियमों के नियम 121(4) में अंकित हिदायतों की पालना करते हुऐ नामान्तरकरण निर्णित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को नामान्तरकरण के संबंध में पूर्ण जांच उपरांत नामान्तरकरण तस्दीक करना होता है लेकिन पत्रावली में अंकित तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बावलास द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करते समय विधि के उक्त उपबंधों की पालना नहीं की गई है तथा अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध तस्दीक किया गया है। लिहाजा उक्त नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 951 मौजा बावलास निर्णय दिनांक 05.09.2000 द्वारा ग्राम पंचायत बावलास राजस्थान भू राजस्व(भू–अभिलेख) नियम, 1957 के प्रावधान की पालना नहीं कर निर्णित करने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः निर्णित करने हेतु तहसीलदार राशमी को प्रति प्रेषित किया जाता है। तहसीलदार राशमी मृतक खातेदार उदा पिता कजोड खाती निवासी बावलास के विधिक वारिसानों की विधि के सुसंगत प्रावधानों के आलेख में नये सिरे से पूर्ण जांच उपरांत निर्णय पारित करें। हाजिर पक्षकारान को निर्देशित किया कि दिनांक 03.07.2019 को तहसीलदार राशमी के समक्ष हाजिर रहें। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें। तहसीलदार राशमी को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 27.05.2019 को सुनाया गया।

27-5-19

(कपूर शंकर मान)
उपखण्ड अधिकारी
राशमी

(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official